दिनांक 29.04.2019 को प्रातः 11:00 बजे श्री यश गर्ग, भा0प्र0से0, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की हुई बैठक की कार्रवाई रिर्पोट

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1. श्री आर.एस. वर्मा, आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
2. श्री राकेश कुमार, उपमण्डल अधिकारी (ना0) –कम– संयुक्त आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
3. श्री विवेक सिंह, उपमण्डल अधिकारी (ना0), सांपला।
4. श्रीमति पूनम बब्बर, डीआरओ।
5. श्री कृष्ण कुमार, आर.ओ., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
6. श्री अरूण नांदल, सचिव, नगर पालिका कलानौर।
7. श्रीमति सुमन लकरा, सचिव, नगर पालिका, सांपला।
8. श्री आशीन कुमार, सचिव, नगर पालिका, कलानौर।
9. श्री ओम प्रकाश शर्मा, बी.डी.पी.ओ, कलानौर।
10. श्री रामफल सिंह, बी.डी.पी..ओ, रोहतक।
11. श्री हरकेश गुप्ता, तहसीलदार, कलानौर।
12. श्री कनब लाकरा, तहसीलदार, रोहतक।
13. श्री सुरजीत सिंह, सब डिविजन इंजीनियर, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
14. श्री एम.एम. गर्ग, नगर अभियन्ता, नगर पालिका कलानौर।
15. श्री राजकुमार, कनिष्ट अभियन्ता, नगर निगम रोहतक।
16. श्री महावीर सिंह, मुख्य सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक।
17. श्री हर्ष चावला, सफाई निरीक्षक, नगर निगम रोहतक।
18. श्री चांद राम, एम.एस., मार्किट कमेटी, रोहतक।
19. डा0 रोहतास, डीडीए, कृषि विभाग, रोहतक।
20. डा0 शमशेर सिंह, एसडीएओ. कृषि विभाग, रोहतक।
21. डा0 बिजेन्द्र सिंह, टीए, डीडीए, कृषि विभाग, रोहतक।
22. डा0 रघुवेन्द्र सिंह, टीए, डीडीए, कृषि विभाग, रोहतक।
23. श्री रामबीर सिंह, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
24. श्री अजीत सिंह, एन.टी.ए महम।
25. श्री विनोद कुमार, o/o बी.डी.पी.ओ., महम।
26. श्री अरविन्द मलिक, डी.डी.पी.ओ।
27. श्री दलेल सिंह, सहायक o/o बी.डी.पी.ओ., सांपला।
28. श्री सुखबीर सिंह, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।

बैठक में सभी का स्वागत करते हुए सभी उपस्थित को दिनांक 12.04.2019 की बैठक के निर्देशों को जानकारी दी गई तथा निम्नलिखित बिन्दुओं की तय सीमा से पुनः सबको अवगत करवाया गयाः–

Activity	Target dates (100%)
Identification of Bulk Waste Generator (BWG)	Apr-19
User Fees notification	Apr-19
Penalty Enforcement/ Collection data against SWM Rules violation	Apr-19
Door to Door Collection	May-19
Street Sweeping	Aug-19

Scanned by CamScanner

Vehicles with compartment and GPS on all the vehicles	Aug-19
Processing of BWGs	Aug-19
Material Recovery Facility (MRF) atleast one in each town for dry waste recycling	Aug-19
Preventing solid waste entering into water bodies	Aug-19
Source Segregation	Aug-19
Processing of Solid Waste (wet waste)	Aug-19
Details of C&D Waste	Aug-19
Details of Legacy Waste sites	Aug-19
Street Sweeping	Aug-19
Identification of Authorized Plastic recycler	Aug-19
Separate sites for storage of C&D Waste	Aug-19
Separate Site for storage of Bio-medical Waste	Aug-19
Ensure separate collection of E-Waste	Aug-19
Notification regarding use of plastic waste in road construction	Aug-19
Penalty Enforcement/ Collection data against PWM Rules violation	April 2019 (month wise data)

उपरोक्त निर्धारित सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों को निम्नलिखित निर्देश दिए गए:–

क्रम संख्या	एजेण्डा	जिन द्वारा कार्रवाई की जानी है
1	100% घर–घर से कूड़ा उठना	SWM Rules 2016, NGT orders व प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के निर्देशानुसार नगर निगम रोहतक, नगर पालिका सांपला, कलानौर व महम क्षेत्र में मई 2019 तक 100% घर–घर से कूड़ा उठना सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए निम्नलिखित क्रियान्वयन एजेन्सी अपने–अपने क्षेत्र में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जनता को जागरूक करने के लिए टीम गठित करेंगे तथा उनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। कार्रवाई:– 1. नगर निगम रोहतक। 2. नगर पालिका, महम, सांपला व कलानौर 3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 4. PGIMS 5. MDU 6. मार्किट कमेटी प्रपत्र जिसमें रिर्पोट प्रस्तुत की जानी है:–

कमांक	विभाग का नाम	कुल वार्ड	कुल यूनिटों की संख्या	घर–घर से कूड़ा एकत्रित कितने यूनिट	गीला व सूखा कूड़ा कितने यूनिट में अलग –अलग हो रहा है	जागरूकता के लिए गठित टीम

Scanned by CamScanner

<table>
<tr><td>2</td><td>गीला व सूखा कूड़ा–घर/दुकान/संस्थान से ही अलग–अलग लेना</td><td>मई 2019 तक सभी कियान्वयन एजेन्सी ने मई 2019 तक अपने–अपने क्षेत्र में कूडा उत्पन्न स्त्रोत से ही गीला व सूखा कूडा अलग–अलग लेना व 15 मई तक इस पर कार्यवाही करते हुए प्रगति रिर्पोट की प्रति, वसूल किए जुर्माने की रिर्पोट 15 मई तक प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए निम्नलिखित कियान्वयन एजेन्सी अपने–अपने क्षेत्र में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जनता को जागरूक करने के लिए टीम गठित करेंगे तथा उनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।
कार्रवाईः–
1. नगर निगम रोहतक।
2. नगर पालिका, महम, सांपला व कलानौर
3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
4. PGIMS
5. MDU
6. मार्किट कमेटी
<table>
<tr><th>कमांक</th><th>विभाग का नाम</th><th>कुल वार्ड</th><th>कुल यूनिटों की संख्या</th><th>घर–घर से कूड़ा एकत्रित कितने यूनिट</th><th>गीला व सूखा कूड़ा कितने यूनिट में अलग –अलग हो रहा है</th><th>जागरूकता के लिए गठित टीम</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>प्रत्येक यूनिट में हरे व नीले कूड़ेदान होना सुनिश्चित करना।</td><td>इसके लिए प्रत्येक स्त्रोत पर हरे व नीले रंग के कूड़ेदान होना सुनिश्चित करना है। इसकी पालना के लिए अवहेलनाकर्ता पर जुर्माना लगाना व उसकी वसूली भी करना है। प्रत्येक इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी करें व 15 मई तक इस पर कार्यवाही करते हुए प्रगति रिर्पोट की प्रति, वसूल किए जुर्माने की रिर्पोट 15 मई तक प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए निम्नलिखित कियान्वयन एजेन्सी अपने–अपने क्षेत्र में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जनता को जागरूक करने के लिए टीम गठित करेंगे तथा उनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे।
कार्रवाईः–
1. नगर निगम रोहतक।
2. नगर पालिका, महम, सांपला व कलानौर
3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
4. PGIMS
5. MDU
6. मार्किट कमेटी</td></tr>
<tr><td>4</td><td>पुराने कूड़े का निष्पादन</td><td>नगर निगम, नगर पालिकाओं व संस्थानों में जो पूराना कूड़ा एकत्रित हुआ है, उसके निष्पादन के लिए किए गए कार्यो का विवरण व इस कूड़े के निष्पादन की समय सीमा का विवरण प्रस्तुत करें।
कार्रवाईः–
1. नगर निगम रोहतक।
2. नगर पालिका, महम, सांपला व कलानौर
3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण</td></tr>
</table>

Scanned by CamScanner

		4. PGIMS 5. MDU 6. मार्किट कमेटी
5	सिंगल यूज प्लास्टिक/पौलीथीन बैग पर रोक लगाना व चालान करना	Plastic Waste Management Rules 2016 के दिशा–निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक व पोलीथीन का प्रयोग (50 माइक्रोन से कम) निषेघ है। सभी सम्बन्धित एजेंसी इस पर पूर्ण रोकथाम सुनिश्चित करेंगें भंडारों, सार्वजनिक भोज, विवाह–शादियों में प्लास्टिक डिस्पोजल को प्रयोग न करने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। 2. बाजारों में 50 माइक्रोन से कम की थैली का प्रयोग करने वालों पर जुर्माना कर वसूल करेंगे। 3. सभी प्लास्टिक/पौलीथीन विक्रेताओं के रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रगति रिर्पोट 15 मई तक प्रस्तुत करेगें। इसके लिए निम्नलिखित क्रियान्वयन एजेन्सी अपने–अपने क्षेत्र में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जनता को जागरूक करने के लिए टीम गठित करेंगे तथा उनकी प्रगति की समीक्षा करेंगे। कार्रवाईः– 1. नगर निगम रोहतक। 2. नगर पालिका, महम, सांपला व कलानौर 3. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 4. PGIMS 5. MDU 6. मार्किट कमेटी
6	मार्किट कमेटी, PGIMS व MDU में गीलें कूड़े के निष्पादन के लिए किए गए कार्यो का विवरण	1.मार्किट कमेटी द्वारा सब्जी मण्डी से निकलने वाले गीले कूड़े के निष्पादन के लिए की गई प्रगति रिर्पोट प्रस्तुत की जानी है। 2. PGIMS व MDU ने भी उनके संस्थान से निकलने वाले कूड़े के निष्पादन के लिए किए गए कार्यो का विवरण प्रस्तुत करना है। 1. मार्किट कमेटी 2. PGIMS 3- MDU
7	Bio-Medical Waste के लिए निष्पादन के लिए प्राईवेअ व सरकारी हस्पतालों द्वारा किए गए कार्ये का विवरण	सिविल सर्जन रोहतक द्वारा सभी प्राइवेट हस्पतालों व सरकारी हस्पतालों का विवरण, उनके रजिस्ट्रेशन का विवरण, उन द्वारा Bio-Medical Wste के निष्पादन के लिए किए गए कार्य का विवरण उनकी Validity, उनकी निरीक्षण रिर्पोट का विवरण प्रस्तुत करेगें। इनकी पालना न करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी प्रस्तुत करेगें। इसके अतिरिक्त Bio-Medical Waste की Haryana Pollution Control Board से Authorization लेना भी सुनिश्चित करेगें।
8	C & D Waste के निष्पादन	1. नगर निगम रोहतक, नगर पालिकाओं, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा जो निर्माण करवाए जा रहे है; उनमें निकलने वाले वेस्ट के निष्पादन के लिए किए गए कार्यो का

Scanned by CamScanner

		विवरण 2. C & D Waste को एकत्रित करने के लिए जगह का चयन 3. भवन निर्माण से निकलने वाले वेस्ट को एकत्रित करने के लिए की गइ व्यवस्था, रेट लिस्ट व जुर्माने का विवरण।
9	सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा गीले व सूखे कूड़े के लिए घरों/कार्यालयों में हरे व नीले रंग के कूड़ेदान रखना व पोलीथीन की थैली का प्रयोग पर प्रतिबन्ध करना।	सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपने घरों में हरे व नीले रंग के कूड़ेदान रखना, गीला व सूखा कूडा अलग-अलग एकत्रित करना व पोलीथीन की थैली का प्रयोग न करने का 10 मई तक प्रमाण पत्र लेंगे तथा 15 मई तक आयुक्त, नगर निगम रोहतक के कार्योलय में जमा करवाएगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही व विलम्ब के लिए कार्यालय इंचार्ज जिम्मेवार होगें। इसमें प्रत्येक अधिकारी का नाम, उसके घर का पता, उसका मोबाईल नम्बर, वर्तमान निवास स्थान, प्रमाण पत्र का कमांक न0. प्रस्तुत करेंगे। जो अधिकारी/कर्मचारी इसकी पालना सुनिश्चित नहीं करेगे उन पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए सरकार को लिखा जायेगा। नगराधीश रोहतक, सभी विभागाध्यक्ष को इस संदर्भ में पत्र लिखकर प्रमाण पत्र एकत्रित करवाएगें। रेवन्यू कालोनी, पुलिस लाईन व अन्य सरकारी कालोनी में एक सप्ताह के पश्चात एक कमेटी बनाकर निरीक्षण रिर्पोट 15 मई तक प्रस्तुत करेंगे।

District Level Monitoring Committee उपायुक्त महोदय के आदेश दिनांक16.03.2019 द्वारा पहले ही गठित की जा चुकी है। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

1. Mayor, Municipal Corporation, Rohtak
2. CMO, Rohtak
3. President of MC, Kalanaur, Sampla and Meham
4. Secretary of MC, Kalanaur, Sampla and Meham
5. President of Industries Association, Rohtak
6. GM, HSIIDC, Rohtak
7. Joint Director, Industries, Rohtak
8. S.E. Public Health Engineering Department, Rohtak
9. Representative of Gaushalas
10. President of RWAs of Rohtak
11. E.O., HSVP, Rohtak
12. Secretary of all Market Committee
13. President Fruit & Vegetable Market
14. President Market Association
15. R.O. Pollution Control Board, Bahadurgarh
16. Bulk Waste Generator MDU, PGIMS, Baba Mast Nath University
17. President, Hotel Association, Rohtak
18. DTP, Town & Country Planning, Rohtak
19. IMA, President Rohtak
20. Divisional Labour Commissioner, Bahadurgarh/Rohtak.
21. Deputy Director Agriculture, Rohtak

Scanned by CamScanner

22. Deputy Director Animal Husbandry, Rohtak

Special Task Force हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 09.04.2019 द्वारा गठित की जा चुकी है। जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैः–

1.	Nominee of Deputy Commissioner, Rohtak	-	CTM Rohtak
2.	Nominee of Superintendent of Police Rohtak	-	DSP (HQ)
3.	Nominee of Chairman of District Legal Service Authority (DLSA)	-	Civil Judge Junior Division
4.	Nominee of Regional Officer of HSPCB	-	RO, HSPCB, Bahadurgarh

उपरोक्त सभी विभाग अपनी–अपनी प्रगति रिर्पोट 15 मई तक आयुक्त, नगर निगम के कार्यालय मे जमा करवाएगें तथा नगराधीश रोहतक, आयुक्त, नगर निगम रोहतक के साथ इनकी रिर्पोट Compile कर उपायुक्त, रोहतक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

Form-IV व Form-V भी रिर्पोट के साथ संलग्न करेगें। इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में भी जागरूकता के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगें।

अन्त महोदय के धन्यवाद उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

उपायुक्त,
रोहतक।

पृ0 कमांक 121 Steno to CTM दिनांक 8/1/5/2019

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व NGT द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:–

1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
2. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
3. नगराधीश, रोहतक।
4. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
5. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
7. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
8. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
9. CMO, रोहतक।
10. R.O., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
11. डा0 सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
12. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
13. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
14. अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक।

Scanned by CamScanner

15. AGM, HSIIDC, Rohtak.
16. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
18. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
19. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
20. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
21. कार्यकारी अभियन्ता – I & II, नगर निगम रोहतक।
22. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
23. सचिव, मार्किट कमेटी, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।

पृ0 कमांक 122 Steno to CTM दिनांक 1/5/2019

इसकी एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. जिला व सत्र न्यायाधीश, रोहतक।
2. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।

उपायुक्त,
रोहतक।

Scanned by CamScanner